

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 7878-5)

दिनांक :- 30-01-2017

केडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या .....49...../2013-14

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना एफ.1 (11) एफडी/ रेवेन्यू/ 96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 24.05.13 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.13 में दिये गये निर्देशों तथा संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग के पत्र क्रमांक प.10(7)वित्त/राजस्व/2013/लूज दिनांक 23.01.2014 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के केडर स्ट्रेन्थ में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की सूची में नीचे वर्णित पद को शामिल किया जाता है:-

| क्र.स. | विभाग/कार्यालय का नाम                                    | स.ले.अ. | लेखाकार | क.ले. |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 1.     | निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।           | 02      | -       | -     |
| 2.     | संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर।   | 01      | -       | -     |
| 3.     | संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर। | 01      | -       | -     |
| योग    |                                                          | 04      | -       | -     |

नोट :- निदेशालय पेंशन विभाग में प्री-2013 एवं प्री 2006 के पेंशनर्स के पेंशन प्रकरणों के रिवीजन सम्बन्धी कार्य हेतु पूर्णतया अस्थाई 1 वर्ष की पेंशन प्रकरणों का कार्य पूर्ण होने तक जो भी पहिले हो, स्वीकृत की जाती है।

  
(वीरबाला जोशी)  
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 7878-5)

दिनांक :- 30-01-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर/बीकानेर।
4. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
5. एसीपी (मु.) विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. पदस्थापन सहायक अलेसे-I विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।

  
(महेन्द्र सिंह भूकर)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)